

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
(समेकित रोग निगरानी परियोजना (आई.डी.एस.पी.))

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./स्वाइन फ्लू/2015/628

दिनांक 05/2/15

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के आयोजन पर रोक लगाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक स्वाइनफ्लू/2015/36 दिनांक : 04.02.15 के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03.02.15 को स्वाइन फ्लू की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था, कि अग्रिम आदेशों तक सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के आयोजन पर रोक लगाई जावे।

उक्त आदेश के तहत अपने जिले के संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करे।

संलग्न : पत्र की प्रतिलिपि।

(डॉ. बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक

क्रमांक: आई.डी.एस.पी./स्वाइन फ्लू/2015/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त, संयुक्त निदेशक।
7. सर्वर रूम।
8. कार्यालय प्रति।

(डॉ. बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज. जयपुर


क्रमांक :- स्वाईनफ्लू/2015/ 36

दिनांक :- 4.2.15

प्रमुख शासन सचिव (स्कूल शिक्षा),
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

महोदय,

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 03.02.2015 को स्वाईन फ्लू की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था, कि अग्रिम आदेशों तक सभी विद्यालयों (निजी एवं सरकारी) में प्रार्थना सभा के आयोजन पर रोक रखी जावे। कृपया इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करावे।


प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग,